

2026:AHC-LKO:20801

उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ

अनुच्छेद 227 के तहत प्रकरण संख्या - 1238/2026

मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री अपूर्व प्रजा

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

एक्सिस बैंक लिमिटेड, लखनऊ, द्वारा अध्यक्ष और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	शुभम त्रिपाठी, आदित्य विक्रम सिंह, इनाम उद्दीन अहमद
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	अमित जायसवाल ओजस लॉ

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरव रिग एवं श्री शुभम त्रिपाठी, तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित जायसवाल को सुना।
2. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ द्वारा दिनांक 22.07.2019 को पारित आदेश की वैधता को तथा न्यायाधिकरण के दिनांक 22.07.2019 के निर्णय के अनुसरण में ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ द्वारा जारी किए गए वसूली प्रमाण-पत्र को चुनौती दी है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत एक कंपनी है और इसने राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी की है, जहाँ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 31 के तहत कार्यवाही पूरी हो चुकी है और नेशनल कंपनी लॉ न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

द्वारा दिनांक 24.05.2024 के आदेश के माध्यम से समाधान योजना को विधिवत अनुमोदित कर दिया गया है।

4. यह निवेदन किया गया है कि इस बीच, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के कहने पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध कुछ कार्यवाहियाँ भी शुरू की गई थीं, जो अब समाप्त हो चुकी हैं और याचिकाकर्ता के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से यह दलील दी है कि मामले के उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, एक बार जब समाधान योजना मंजूर हो जाता है, तो समाधान योजना में शामिल सभी दावे स्थिर हो जाते हैं और कॉर्पोरेट देनदार तथा उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों जिनमें केंद्र सरकार, कोई भी स्थानीय प्राधिकरण, गारंटर और अन्य हितधारक शामिल हैं पर बाध्यकारी होते हैं।

5. उपर्युक्त परिस्थितियों में, यह कहा जाता है कि ऋण वसूली अधिकरण द्वारा जारी किया गया उक्त वसूली प्रमाण-पत्र निष्पादित नहीं किया जा सकता। अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया है जो घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा निदेशक और अन्य 2021 (9) एससीसी 657, के मामले में दिया गया था इसके पैराग्राफ संख्या 102 और 103 में अभिनिर्धारित किया गया कि:-

"102. परिणामस्वरूप, हम अपने द्वारा विरचित किए गए प्रश्नों के उत्तर निम्नानुसार देते हैं:

102.1. यह कि एक बार जब कोई समाधान योजना, धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत निर्णय प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित हो जाती है, तो समाधान योजना में दिए गए दावे स्थिर हो जाएंगे और कॉर्पोरेट देनदार तथा उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों जिनमें केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण, गारंटर और अन्य हितधारक शामिल है, पर बाध्यकारी होंगे। निर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तिथि पर, ऐसे सभी दावे जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं है, समाप्त माने जाएंगे; और कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी दावे के संबंध में

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कोई कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का हकदार नहीं होगा, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं है।

102.2. आईएंडबी संहिता की धारा 31 में 2019 का संशोधन स्पष्टीकरण देने वाला और घोषणात्मक प्रकृति का है, और इसलिए यह उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख से आईएंडबी संहिता लागू हुआ है;

102.3 परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय सभी बकाए, जिनमें सांविधिक बकाए भी शामिल हैं, यदि वे समाधान योजना का हिस्सा नहीं है, तो वे समाप्त माने जाएंगे और जिस तारीख को निर्णायक प्राधिकरण धारा 31 के तहत अपनी मंजूरी देता है, उस तारीख से पहले की अवधि के ऐसे बकाए के संबंध में कोई भी कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकेगी।

103. ऊपर हमारे द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में, अब हम व्यक्तिगत मामलों का निर्णय करने की ओर अग्रसर होते हैं। सिविल अपील स. 8129 वर्ष 2019."

6. तदनुसार, यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष चल रही कार्यवाही में कभी उपस्थित नहीं हुआ और उन्हें उक्त कार्यवाही के बारे में तब पता चला, जब बकाया राशि की वसूली के लिए दमनात्मक उपाय अपनाए गए और यह रिट याचिका दायर की है।

7. याचिकाकर्ता के तर्कों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि एक बार जब समाधान योजना स्वीकृत हो गई और उसमें प्रतिवादी संख्या 1 की बकाया राशि शामिल नहीं की गई, तो उसके बाद ऐसी वसूली नहीं की जा सकती और प्रथम दृष्टया, इस मामले में हस्तक्षेप का आधार बनता है। इस मामले पर विचार किया जाना आवश्यक है।

7. तदनुसार, नोटिस जारी किया जाए।

8. अगली सुनवाई की तारीख तक, निर्णय और आदेश दिनांक 22.07.2019 के अनुसरण में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



साथ ही, ऋण वसूली अधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी वसूली प्रमाण-पत्र भी स्थगित रहेगा।

9. जैसा कि प्रार्थना की गई थी, इस मामले को अनुच्छेद 227 के तहत पकरण संख्या 1747/2025 के साथ जोड़कर दिनांक 05.05.2026 को सूचीबद्ध किया जाए।

(न्यायमूर्ति आलोक माथुर)

23 मार्च, 2026

रवि/

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"